District Level Good Samaritan Workshop

District Level Good Samaritan Workshop was held on May 28, 2019 at Hotel Shriji, Chittaurgarh on Good Samaritan Guidelines on Road Safety.

Sub Divisional Magistrate, Vinod Kumar emphasised the usefulness and need for the basic life support and Good Samaritans. He stressed the need for providing road safety information to the people in the villages to district level with the help of Community, Community Based Organisation so that awareness is created and which will slowly lead to transformation in behaviour of public.

Gauhar Mahmood, welcomed to guests and gave detailed information on the rights of the Good Samaritan. he said that the bystanders will not be liable for any civil and criminal liability.

Deepak Saxena said that the decision has been given by the Supreme Court in the Paramanand Katara case and Save Life Foundation case which mentions about the injured persons in road accidents and role of Good Samaritans and their rights. He added 150,000 people die each year on the roads in India, yet through a dangerous mix of weak law enforcement, a lack of emergency medical care and an unwillingness by the public to come to the aid of those injured, 80% of victims of road traffic crashes do not receive help within the critical first hour.

Jagdish Chand Chawaria, Assistant Director, Social Justice & Empowerment spoke that Law Commission of India states that 50% of those killed in such crashes could have been saved if timely medical care had been provided to them.

Sunil Kumar Jha said the most crucial role is played by the person at the scene of the crash—the bystander or passerby. Not only can such people invoke the official systems of care by making that all-important phone call but they can also play a game-changing role in saving lives of victims by providing them first-aid.

At the end of the session, the participants raised many queries related to Good Samaritan law, the resource persons respond well, Total 94 persons were the part of the event.

Media

कार्यशाला • अनुभव बताए- मददगार नहीं होते तो जीवन सड़क पर खत्म हो जाता

हादसे में घायल के जीवन के लिए पहला घंटा गोल्डन टाइम

भास्कर संवाददाता | चित्तौड़गढ़

किसी दुर्घटना स्थल पर तमाशबीन होकर खडे नहीं रहे। काननू में स्पष्ट उल्लेख है कि मददगार को पुलिस या कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए तत्काल दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को पास के अस्पताल तक पहुंचाने का कदम उठाए। कारण दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति के लिए एक घंटा गोल्डन टाइम होता है। इस प्रकार की जानकारी 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' पर जिला स्तरीय कार्यशाला में अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार एवं भूमिका विषय पर वक्ताओं ने दी। लोगों ने भी अच्छे मददगार बनने का संकल्प लिया। कार्यशाला कट्स की ओर से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से हुई। कार्यशाला में कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए। इन्होंने स्वीकारा कि यदि अच्छे मददगार नहीं होते तो सड़क पर ही जीवन खत्म हो जाता।

मुख्य अतिथि एसडीएम विनोद कुमार थे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने से एक घंटे यानि गोल्डन टाइम में घायल को अस्पाताल पहुंचाने में हम मददगार बन सके तो उसे नया जीवन मिल सकता है। मुख्य वक्ता कट्स जयपुर से सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने गुड समेरिटन एक्ट की जानकारी दी। कट्स समन्वयक गौहर महमूद ने कार्यशाला के उद्देश्य बताए। सहायक समन्वयक मदनगिरी गोस्वामी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक जेपी चावरिया, नीलेश काठेड़, पार्षद रामचन्द्र गुर्जर, डॉ. गंगाधर शर्मा, यशवंत पुरी, भगवानलाल शर्मा, अखिलेष श्रीवास्ताव, प्राचार्य गणेशलाल पूर्बिया, दिलीपसिंह राणावत आदि शामिल हुए। पूर्व आरएएस अधिकारी सुनील झा ने कहा कि आज दुनिया में इसलिए हूं कि मुझे हादसे के बाद गोल्डन टाइम में मददगार मिल गया।

दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचा हम बने मददगार नागरिक

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर जिला स्तरीय कार्यशाला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

चित्तौड़गढ़. दुर्घटनाघटित होने पर एक घण्टे का समय जिसको गोल्डन टाईम कहा जाता है यदि हम उस समय में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मददगार बने तो एक आदर्श नागरिक का फर्ज निभाएंगे। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाना हमारा सबसे बड़ा मानवीय धर्म है। ये विचार उपखण्ड अधिकारी विनोद कुमार ने मंगलवार को कट्स द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से मंगलवार को शहर की एक होटल में 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' पर जिला स्तरीय कार्यशाला में व्यक्त किए। अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार एवं भूमिका विषय पर केन्द्रित कार्यशाला में उपखण्ड अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि दुर्घटना में पीड़ित को त्वरित सहायता पहुंचाना हमारा मकसद होना चाहिए।

कट्स की ओर से मंगलवार को 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में मौजूद लोग।

मुख्य वक्ता कट्स जयपुर से सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद लोग इस डर से नही करते है की पुलिस उन्हे परेशान करेगी एवं कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। इस डर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में गुड समेरिटन एक्ट नाम से नये कानून का आधार रखा जिसमें अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार के दायरे को परिभाषित किया गया। इसमें पुलिस या कोर्ट अच्छे मददगार से कोई भी अनावश्यक पुछताछ एवं जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। सक्सेना से सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि औसतन प्रतिदिन 407 व्यक्ति इस कारण मारे जा रहे है। कट्स समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि कट्स 1992 से सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम, गोष्ठीया, नीतिगत पैरवी जैसे मुद्दो पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा की दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय रहते चिकित्सकीय संस्थानो तक पहुचाने में अच्छे मददगार नागरिकों की संवेदनशीलता और कर्तव्यबोध उजागर करना ही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। इस अवसर पर पार्षद रामचन्द्र गुर्जर, डा गंगाधर शर्मा, अधिवक्ता यशवंतपुरी, भगवानलाल शर्मा, अखिलेश वास्तव, प्राचार्य गणेशलाल पुर्बिया, दिलीपसिंह राणावत, गंगाधर सोलकी, किरण गोस्वामी, प्रेम बैरवा आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में चित्तौड़गढ़, भोपालसागर, राशमी, निम्बाहेड़ा, बेगूं, भदेसर तहसील के 94 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन मदनगिरी गोस्वामी ने किया एवं आभार शान्तिलाल डागी ने जताया।

कमी नहीं चित्तौड़गढ़ में मददगार नागरिकों की

सेवानिवृत आरएएस अधिकारी सुनील कूमार झा ने कहा की चित्तौड़गढ में अच्छे मददगार नागरिको की कमी नही है बस उन्हे संवेदनशील एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। स्वयं का उदाहरण देते हुए झा ने कहा की मैं स्वयं आज इस दुनिया में इसलिए हूं की सड़क दुर्घटना में मुझे चित्तौड़ के अच्छे मददगार नागरिको ने गोल्डन टाइम के भीतर अस्पातल पहुंचा दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक जेपी चावरीया ने कहा कि हमे अच्छे मददगार नागरिको और यातायात नियमों की कड़ाई से पालना होने की जन जागरूकता लानी होगी।

गंभीर नहीं अधिकारी व जनप्रतिनिधि

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन होने के बावजूद इसमें सहभागिता को लेकर अधिकारी व जनप्रतिनिधि गंभीरी नहीं दिखे। सड़क सुरक्षा का विषय होने के बावजूद पुलिस का कोई अधिकारी कार्यशाला में नहीं आया। नगर परिषद आयुक्त या वहां का कोई अधिकारी, सभापति आदि भी आमंत्रण के बावजूद कार्यशाला में नहीं आए। पूर्व सूचना देने के बावजूद प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी भी कार्यशाला में नहीं आए।

29/5/ राजस्थान पत्रिका

दुर्घटनाग्रस्त लोगों की गोल्डन टाईम में करें मदद– विनोद कुमार

चित्तौड़गढ,29 मई(नस)। दुर्घटना गठित होने से एक घण्टे का समय जिसको गोल्डन टाईम कहा जाता है यदि हम उस गोल्डन टाईम में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल तक पहुचाने में हम अच्छे मददगार नागरिक की भुमिका निभाते हुए अपने कर्त्तव्य को पुरा करना ही मानवीय धर्म है उक्त विचार कट्स द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मंगलवार को ''सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा'' पर जिला स्तरिय कार्यशाला में अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार एवं भुमिकां विषय पर मुख्य अतिथि के रूप में उपखण्ड अधिकारी विनोद कुमार ने व्यक्त किये।

मुख्य वक्ता के रूप में कट्स जयपुर से सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार पर जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की मदद लोग इस डर से नही करते है की पुलिस उन्हे परेशान करेगी एवं कोर्ट कचहरी में जाना पडेगा।

इस डर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में गुड समेरिटन एक्ट नाम से नये कानून का आधार रखा जिसमें अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार के दायरे को परिभाषित किया गया। जिसमे पुलिस या कोर्ट अच्छे मददगार से कोई भी अनावश्यक पुछताछ एवं जानकारी देने के लिए पुलिस बाध्य नही कर सकेगी बल्की अच्छे मददगार को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित करेगी। सक्सेना ने प्रस्तुतीकरण में देश की सड़क दुर्घटनाओं की भयावह स्थिति को सामने रखा जिसमें पिछले दस वर्षो में करीब 13 लाख व्यक्तियों की मौत हुए तथा वर्तमान में 407 व्यक्ति दुर्घटनाओं में मारे जाते है।

इस अवसर पर कट्स समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि कट्स 1992 से सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम, गोष्ठीया, नीतिगत पैरवी जैसे मुद्दो पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाते रहे है।

कार्यशाला का उदेश्य बताते हुए कहा की दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय रहते चिकित्सीय संस्थानो तक पहुचाने में अच्छे मददगार नागरिकों की संवेदनशीलता और कर्तन्यबोध हो।

कार्यक्रम में सुनील कूमार झा ने कहा की चित्तौड़गढ में अच्छे मददगार नागरिको की कमी नही है बस उन्हे संवेदनशील एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है स्वयं का उदाहरण देते हुए श्री झा ने कहा की मैं स्वयं आज इस दुनिया में इसलिए हूँ की सड़क दुर्घटना में मुझे चित्तौड़ के अच्छे मददगार नागरिक ने गोल्डन टाइम के भीतर अस्पताल पहूचा दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक जेपी चावरीया ने सम्बोधित करते हुए कहा की सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या काफी चिन्तनीय होती जा रही है हमें अच्छे मददगार नागरिको और यातायात नियमों की कड़ाई से पालना होने की जनजागरूकता लानी होगी।

निलेश कांवेड़ ने बताया कि अच्छे मददगार नागरिको को आगे लाने के लिए सरकारी स्तर पर जो प्रयास किये जा रहे है उन्हे लोगों की जानकारी में लाने के लिए अत्यधिक जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

इस अवसर पर पार्षद राम चन्द्र गुर्जर, डा.गंगाधर शर्मा, एडवोकेट यशवंत पुरी, भगवान लाल शर्मा, अखिलेश श्री वास्तव, प्राचार्य गणेश लाल पुर्बिया, दिलीप सिंह राणावत, गंगाधर सोलंकी, किरण गोस्वामी, प्रेम बैरवा ने विचार व्यक्त किये।

कार्यशाला में चित्तौड़गढ़, भोपालसागर, राशमी, निम्बाहेड़ा, बेगूं, भदेसर तहसील सहित 94 सहभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन मदन गिरी गोस्वामी एवं आभार शान्ति लाल डागी ने व्यक्त किया।

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक राधावल्लभ गोयल के लिए दुर्गानन्द ऑफसेट प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, 10-सी, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। फो